

**प्रपत्र ए**  
**सार्वजनिक उद्घोषणा**

[ भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत ]  
एक्स्क्लूसिव फायबर्स लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण	
1. कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	एक्स्क्लूसिव फायबर्स लिमिटेड
2. कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	16 अप्रैल, 2014
3. वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4. कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U74999DL2004PLC125846
5. कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय: 31/3203, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 उत्पादन यूनिट: डी-2/ई-16, दहेज इंडस्ट्रियल इस्टेट, दहेज, भरुच-392130, गुजरात
6. कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	28 मार्च, 2019-आदेश की तिथि 9 अप्रैल 2019- अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल द्वारा आदेश प्राप्ति की तिथि
7. दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	24 सितम्बर, 2019 (दिवाला आरंभ होने की तिथि से 180 दिन)
8. अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल के रूप में कार्यरत है	आकाश सिंघल पंजी. नं.: IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279
9. बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल का पता एवं ईमेल:	खण्डेलवाल जैन एंड क., चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स, जी-8 एवं 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली-110002 akash@kjco.net
10. अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	खण्डेलवाल जैन एंड क., चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स, जी-8 एवं 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली-110002 exclu-sivefibers.cirp@gmail.com
11. दावे जमा करने की अंतिम तिथि	23 अप्रैल, 2019
12. क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	वर्ग का नाम: कुछ नहीं
13. किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफिशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14. (क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	(क) वेब लिंक: <a href="https://ibbi.gov.in/home/downloads">https://ibbi.gov.in/home/downloads</a> (ख) लागू नहीं।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 28 मार्च, 2019 को एक्स्क्लूसिव फायबर्स लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्वारा एक्स्क्लूसिव फायबर्स लिमिटेड कॉर्पोरेट ऋणधारक के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल के पास 20.4.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। प्रविष्टि सं. 12 (लागू नहीं) के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग (कुछ नहीं) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफिशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं- लागू नहीं दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथि: 9 अप्रैल 2019

स्थान: नई दिल्ली

हस्ता./-

आकाश सिंघल

(अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल)

पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279